प्रारूप–2

वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक की अवधि के लिए देशी मदिरा (देशी शराब–5ग)/विदेशी मदिरा व बियर (विदेशी मदिरा–5घ) के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन के आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्र का प्रारूप (लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम राजस्व ऑफर)

आवेदक का नोटरी से प्रमाणित नवीनतम् फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी...
.... आयु ....वर्ष...
....

पता वर्तमान निवास

मकान नम्बर...नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.........................
....थाना/पटवारी पट्टी...
तहसील/उपतहसील...जिला...................................

पता स्थाई निवास

मकान नम्बर...नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक...
थाना/पटवारी पट्टी..तहसील/उपतहसील...जिला............
..........................शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूॅ कि :–

1. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण ने सी0एल0–5सी (देशी शराब) व एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा) की फुटकर बिक्री की दुकान ....थाना..................तहसील.................जिला........................ .... के अनुज्ञान **वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक)** हेतु आवेदन पत्र दिया है।
2. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित हो जाती है तो वह नियमों, अनुज्ञापन की शर्तों और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
3. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण भारत का नागरिक है एवं उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है/हैं।
4. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है/हैं।
5. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकायेदार है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।
6. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उस/उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
7. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण के पास समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों, आबकारी नीति विषयक नियमावली – 2024 एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है। (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।

8. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण मदिरा दुकान आवंटन होने की दशा में अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूतियों की धनराशि नियमानुसार समयान्तर्गत जमा करेगा/करेंगे।
9. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को यदि देशी/विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित होती है तो शपथकर्ता/शपथकर्तागण आबकारी नीति विषयक नियमावली – 2024 में निर्धारित समय अंतर्गत वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति जमा कर देगा।
10. यह कि शपथकर्ता पर न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकाया है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्हे आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।
11. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
12. शपथकर्ता द्वारा मदिरा दुकान के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र हैसियत, स्थाई निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई०टी०आर० इत्यादि विवाद रहित है।
13. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को यदि देशी/विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित होती है तो शपथकर्ता/शपथकर्तागण आवंटन के तीस दिवस के भीतर वाणिज्य कर विभाग में अपना पंजीकरण करा लेगा/लेंगे।
14. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को सेवायोजित नहीं करेगा/करेंगे।
15. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा/करेंगे।
16. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा अनुज्ञापन की वैधता अवधि के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा/करेंगे।
17. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा दुकान आवंटन होने पर दुकान में बार कोड रीडर मशीन एवं स्वैप मशीन लगायेगा/लगायेंगे।
18. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को आयकर विभाग द्वारा पैन संख्या.................................. एवं पैन संख्या.................................. आंवटित की गयी है/किया गया है।
19. यह कि शपथकर्ता आयकर दाता है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आयकर विवरण की प्रति संलग्न की है।

यह कि प्रस्तार–1 से 19 तक की विषय वस्तु एवं निविदा प्रपत्रों में दी गयी विषय वस्तु हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान..

दिनांक...समय.................................

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान...दिनांक..............................